निर्यात निरीक्षण परिषद

निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना -2012

0	**प्रस्तावना**
0.1.	भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के ठोस विकास सुनिश्चित करने के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) की स्थापना की गई । भारत भर में फैले एनएबीएल प्रत्यायित अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं सहित 29 उप कार्यालयों के नेटवर्क के साथ मुंबई, कोलकाता, कोच्ची, चेन्नई एवं दिल्ली में स्थित अपने क्षेत्रीय निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन एवं प्रमाणन सुनिश्चित किए जाते हैं ।
0.2.	अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियमावली, 1964 के नियम 12 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित समझे शर्तों के अधीन सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण तथा दोनों के लिए, निरीक्षण अभिकरणों की स्थापना या मान्यता प्रदान करने का केन्द्र सरकार का अधिकार है ।
0.3	इसके अलावा, निनिप निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियमावली, 1964 के नियम 12 में यथा विनिर्दिष्ट निरीक्षण अभिकरणों की मान्यता के लिए निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना 2002 का प्रचालन करती आ रही थी। संशोधित योजना **आईएसओ / आईईसी मानक 17020: 2012 "विभिन्न निरीक्षण निष्पादन निकायों के प्रचालन के लिए अनुरूपता मूल्यांकन अपेक्षाओं"** द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को श्रेणीबद्ध कर दिया गया है ।
0.4	यह निनिप निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना का दूसरा संशोधन है तथा 28 वें अगस्त 2012 से ; या निदेशक (आई एंड क्यू / सी) के निर्णयानुसार प्रवृत्त होगा । तथापि, निनिप निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना 2002 के अनुसार पहले से ही मान्यता प्राप्त निरीक्षण अभिकरणों को इस संशोधित योजना में प्रतिपादित आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन उनकी मान्यता की वैधता की अधिसूचित तारीख तक मान्यता की अनुमति दी जाएगी, लेकिन संशोधित आईएसओ मानक का अनुपालन 1 सितंबर 2013 2012 तक ।
1.0.	**कार्य-क्षेत्र**
1.1	यह दस्तावेज़ एक अभिकरण के रूप में धारा 7 की उपधारा (1) के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिये इच्छुक आवेदकों के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है, जिसमें मान्यता के लिए मापदंड, मान्यता के लिए कार्यविधि, मान्यता के नियम एवं शर्तें एवं मान्यता / नवीकरण समाविष्ट शुल्क की अनुसूची शामिल है।
1.2	इस योजना के तहत निरीक्षण अभिकरणों की मान्यता भारत के संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अनुप्रयोग के दायरे के अनुसार प्रयोजन के लिए प्रत्येक व्यक्ति / साइट / शाखा / केंद्र / पोर्ट के लिए की जाएगी और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा सामान्य तौर पर किसी अन्य जगह पर निरीक्षण के प्रचालन के लिए नहीं।
2.0	**मान्यता के लिए मानदंड**
2.1	इस योजना के तहत मान्यता के मानदण्डों को "निरीक्षण निष्पादन करने वाले विभिन्न प्रकार के निकायों के प्रचालन के लिए अनुरूपता मूल्यांकन आवश्यकताओं" के लिए संशोधित अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ / आईईसी 17020: 2012 के साथ श्रेणीबद्ध किया गया है तथा जहाँ जरूरत हो ऊपर के मानक की उपधारा का संदर्भ दिया गया है ।

निर्यात निरीक्षण परिषद

निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना -2012

2.2.	इस योजना के तहत मान्यता की मांग करने वाले निरीक्षण अभिकरण निम्नलिखित प्रावधान के साथ आईएसओ / आईईसी 17020: 2102 और आईएसओ / आईईसी 17025: 20012 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यायित या तो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जाएगा
2.2.1	'निष्पक्षता और स्वतंत्रता' पर खण्ड 4.1 के तहत अनुबंध ए 1 (तीसरे पक्ष के निरीक्षण निकाय) में इसकी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ पठित 2012 मानक: आईएसओ / आईईसी 17020 के खण्ड 4.1.6 (ए) के अनुरूप तृतीय पार्टी निरीक्षण सेवाएं प्रदान करने वाले अभिकरण एक 'टाइप ए' निरीक्षण निकाय होगा ।
2.2.2	निरीक्षण अभिकरण आम तौर पर अपने निरीक्षण काम के किसी भी हिस्से को उप अनुबंध नहीं करेगा। असाधारण परिस्थितियों में वह अपने काम के हिस्से का उप अनुबंध कर सकता है, बशर्ते कि उप ठेकेदार ऊपर पैरा 2.2.1 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा उन्हें इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त है, निनिप - नई दिल्ली की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है तथा ग्राहक को पहले ही जानकारी उपलब्ध कराई जानी है।
2.2.3	निरीक्षण अभिकरण अपने निरीक्षण काम के समर्थन के लिए लागू कार्यक्षेत्र के लिए एक प्रयोगशाला का अनुरक्षण करेगा। प्रयोगशाला आईएसओ / आईईसी 17025: 2005 'परीक्षण की क्षमता के लिए सामान्य आवश्यकताओं तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं' की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा या लागू कार्यक्षेत्र के लिये एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित किया जाएगा ।
3.0	**मान्यता के लिए कार्यविधि**
3.1	**आवेदन**
3.1.1	**इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिसूचित वस्तुओं के लिये एक निरीक्षण अभिकरण के रूप में मान्यता की इच्छा रखने वाले और / या इस विषय पर रुचि रखने वाले किसी भी** अभिकरण **अपने निरीक्षण काम के समर्थन करने के लिए अनुलग्नक 'बी' के रूप में निर्धारित प्रपत्र में चेन्नई, दिल्ली, कोच्ची, कोलकाता और मुंबई में स्थित निकटतम निर्यात निरीक्षण** अभिकरण **(निनिअ) को, इस योजना के अनुबंध ए में शुल्क की अनुसूची में दिए गए 25,000/- के एक आवेदन शुल्क के साथ (गैर वापस) इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली दस्तावेजों / गुणवत्ता नियमावली की प्रति के साथ एक आवेदन निनिप को प्रस्तुत करेगा । आवेदन सभी मायनों में परिपूर्ण होने चाहिए** । इसमें अपनी गतिविधियों के साथ अपनी कानूनी पहचान के सबूत, निरीक्षण में अनुभव, अपने द्वारा लागू की गई गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियाँ सहित आवश्यक दस्तावेज शामिल किया जाना चाहिए । निनिअ के साथ दायर किए आवेदन की एक प्रति नियमावली सहित इसके सभी संलग्नकों के साथ और निनिअ को आवेदन शुल्क के भुगतान के दस्तावेज की प्रति निनिप, नई दिल्ली को भी एक साथ भेज दिया जाएगा ।
3.1.2	**निनिप द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर उसकी स्वीकार्यता या अन्यथा के बारे में निर्णय लेने के लिये जनशक्ति, उनकी योग्यता / क्षमता, उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं और गुंजाइश सहित संपूर्णता के लिए छानबीन की जाएगी । एक बार आवेदन स्वीकार किया जाता है, इसको एक आवेदन की संख्या दी जाएगी तथा विधिवत अभिस्वीकृति दी जाएगी ।**
3.1.3	**किसी भी कमियों के मामले में, निनिप पूरक जानकारी मांग सकती है या तो लिखित रूप में कारण बताते हुए संबंधित निनिअ को एक प्रति के साथ आवेदन को अस्वीकार कर सकती है । अस्वीकृति के लिए निम्न में से एक या अधिक कारण हो सकता है :**
i.	**अभिकरण अपने दायरे के तहत, एक पदार्थ के लिए अनुमोदन की मांग कर रहा है जो उस समय निनिप के हित के लिए नहीं है,**

निर्यात निरीक्षण परिषद

निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना -2012

ii.	**अभिकरण के पास आवेदन किए अपने कार्यक्षेत्र के लिए पर्याप्त तकनीकी क्षमता नहीं है,**
iii.	**यथावश्यक अपूर्ण आवेदन दस्तावेजों और शुल्क का भुगतान न करने पर ,**
iv.	**नवीकरण आवेदन के मामले में अभिकरण का पिछला निष्पादन संतोषजनक नहीं,**
v.	**निनिप द्वारा उचित समझे किसी भी अन्य कारण से ।**
3.2	**ऑडिट की पर्याप्तता**
3.2.1	**निनिप के द्वारा आवेदन स्वीकार करने के बाद, खण्ड 2 में दिए गए मान्यता के मानदंड तथा आईएसओ / आईईसी 17020: 2012 और आईएसओ / आईईसी 17025: 2005 के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं गुणवत्ता नियमावली की पर्याप्तता एवं अनुरूपता का सत्यापन निनिप द्वारा चुने एक निर्धारक या किसी उपयुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।**
3.2.2	**पर्याप्तता ऑडिट के दौरान पायी गई कमियों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तथा उचित संशोधन / स्पष्टीकरण / संशोधित मैनुअल प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन की अवधि के भीतर। फिर से** जांच पड़ताल **के लिए विधिवत आवेदक को सूचित किया जाएगा। केवल एक बार नियमावली पर्याप्त घोषित करने के बाद निनिप, आगे आवेदन पर कार्यवाही करेगी ।**
3.3	**ऑन साइट ऑडिट**
3.3.1	**निनिप अभिकरण द्वारा प्रलेखित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों तथा साथ ही साथ अपनी तकनीकी क्षमता के विषय में लागू मान्यता के दायरे के अनुपालन या अन्यथा के बारे में मूल्यांकन करके मूल्यांकन रिपोर्ट निनिप द्वारा निर्धारित प्रारूप में निनिप को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम दो लेखा परीक्षकों का एक दल प्रतिनियुक्त करके साइट पर ऑडिट का आयोजन करेगी ।**
3.3.2	**ऑडिट में निम्नलिखित शामिल होंगे:**
क)	**प्रारंभिक बैठक - इस बैठक का आयोजन ऑडिट दल के प्रमुख द्वारा किया जाएगा जिसमें संगठन या शाखा के प्रमुख, प्रबंधन प्रतिनिधि के प्रमुख और ऑडिट किए जा रहे सभी प्रभागों के प्रमुखों को उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती। इस बैठक के दौरान, दल के प्रमुख ऑडिट की गुंजाइश तथा विस्तार के साथ ही साथ ऑडिट की उनकी योजना के बारे में समझाएगा ।**
ख)	**ऑडिट का संचालन - ऑडिट की प्रारंभिक बैठक के दौरान सहमति व्यक्त की योजना के अनुसार, ऑडिट का आयोजन किया जाएगा और अभिकरण की मान्यता के प्रासंगिक सभी कार्य क्षेत्रों को शामिल करेगा । ऑडिट में बुनियादी ढांचे तथा सुविधाओं का सत्यापन, प्रबंधन प्रणाली की जांच, निरीक्षण रिकॉर्ड संबंधित दस्तावेज और कर्मियों की क्षमता का मूल्याँकन भी शामिल होंगे । संबंधित प्रमुख,जो प्रभाग (प्रभागों) की गतिविधियों से परिचित है, प्रत्येक ऑडिटर के साथ होना चाहिए। ऑडिट टीम द्वारा पायी गई गैर-अनुरूपता निनिप द्वारा निर्धारित उचित प्रारूप में दर्ज की जाएगी और 30 दिन से अधिक न वाली एक सहमति व्यक्त समय सीमा के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई लेने के लिए प्रत्येक दिन की समाप्ति पर अभिकरण को सौंप की जाएगी ।**
ग)	**समापन बैठक - ऑन-साइट ऑडिट एक समापन बैठक के साथ समाप्त होगी जिसके दौरान ऑडिट टीम अभिकरण को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रारंभिक बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को विशेषतः समापन बैठक में उपस्थित होना चाहिए।** स्वीकृति की निशानी के रूप में प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए गैर अनुरूप रिपोर्टों पर प्रबंधन प्रतिनिधि या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, तथा प्रमाण के साथ उचित सुधारात्मक कार्रवाइयाँ ऑडिटर को उपलब्ध कराने की समय सीमा किसी भी मामले

निर्यात निरीक्षण परिषद

निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना -2012

	में 30 दिनों से अधिक नहीं होगी ।
3.3.3	**प्रलेखित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तथा इस के लिए आवेदन के साथ प्रदान किए गए प्रमाणों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इस ऑडिट शुरू होने से पहले आवेदक को कम से कम एक आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट और एक प्रबंधन समीक्षा का आयोजन किया जाना होगा।**
3.4	**ऑडिट शुल्क**
3.4.1	**आवेदक अग्रिम में ऑडिट के शुल्क का भुगतान करेगा, जिसका अनुमान ऑडिट पर अपेक्षित श्रम दिवस तथा इस योजना के अनुबंध ए में दर्शाए शुल्क की अनुसूची के आधार पर निनिप द्वारा प्रदान किया जाएगा ।**
3.5	**ऑडिट के दौरान आवेदक का उत्तरदायित्व**
3.5.1	**अभिकरण से ऑडिट टीम के दौरे के दौरान निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराना की उम्मीद है :**
क)	**रहने, स्थानीय मार्गदर्शन तथा यात्रा आदि की व्यवस्था**
ख)	**एक उपयुक्त कमरे में जहां टीम के सदस्यों से मिलने और उनके नोट्स और निष्कर्षों के आदान-प्रदान को दिन के दौरान और दिन की समाप्ति पर चर्चा कर सकते हैं।**
ग)	**फ़ोटोकॉपी करने जैसे सचिवीय और अन्य कार्यालय सहायता आदि**
3.6	**प्रारंभिक ऑडिट पर अनुवर्ती कार्रवाई**
3.6.1	**यदि दल गैर-अनुरूपता, रिपोर्ट करते हैं आवेदक अभिकरण आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई लेगा जिसे संतोषजनक समाप्ति के लिए, मान्यता प्रदान करने पर विचार करने से पहले निनिप और या उसके ऑडिटरों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।**
3.7	**मान्यता**
3.7.1	**एक निरीक्षण अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए ऑडिट टीम के निष्कर्षों तथा उनकी संतोषजनक अनुकूलता मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्रदान करने का मामला मान्यता के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करने तथा अधिसूचना के लिए निदेशक (आई एंड क्यू / सी), निनिप के सम्मुख रखा जाएगा ।**
3.7.2	**मान्यता तीन साल के एक प्रारंभिक अवधि के लिए, अधिकतम तीन साल के लिए नवीकरणीय एक साथ प्रदान की जाएगी ।**
3.8	**प्रत्यायन के लिए विचार**
3.8.1	**यदि आवेदक अभिकरण** **आईएसओ / आईईसी 17020 :1998 या 2012 मानक के आधार पर पहले से ही मान्यता रखता है या अपनी प्रयोगशाला आवेदन किए कार्यक्षेत्र के लिये एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है,तो उसी के लिए उचित महत्व दिया जाएगा ।**

निर्यात निरीक्षण परिषद

निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना -2012

4.	**निगरानी**
4.1	**सभी मान्यता प्राप्त निरीक्षण अभिकरण किसी भी निर्धारित तिथि पर अपनी प्रयोगशाला सहित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन तथा रखरखाव की स्थिति के मूल्याँकन एवं सत्यापन के लिए कम - से - कम साल में एक बार निनिप के निगरानी आडिट के अधीन होगा। किसी भी निरीक्षण अभिकरण द्वारा इस ऑडिट के लिए कोई स्थगन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आवश्यक हो तो निनिप द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक अप्रत्याशित अचानक ऑडिट के हो सकती है। किसी भी तरह के ऑडिट के लिए अनुबंध ए में निर्धारित, शुल्क देय होगा ।**
4.2	**मान्यता के प्रचालन के दौरान, अगर अभिकरण मान्यता की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, निदेशक (आई एंड क्यू / सी) के अनुमोदन के साथ इसकी मान्यता निनिप के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है,** **और अभिकरण विशेष दौरा की मांग कर सकता है जिसके लिये साइट ऑडिट शुल्क के भुगतान के रूप में अनुबंध ए की अनुसूची में दिए गए निर्धारित शुल्क देय होगा ।**
5.	**कार्यक्षेत्र का विस्तार**
5.1	**किसी भी मान्यता प्राप्त निरीक्षण अभिकरण मान्यता प्राप्त अपने क्षेत्र का विस्तार निनिप को एक लिखित अनुरोध करके अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि गुणवत्ता मैनुअल को,परिवर्तित किए किया जाना है तो संशोधित गुणवत्ता मैनुअल की एक प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी ।** इस **अनुरोध पर निनिप द्वारा जांच की जाएगी कि सत्यापन के लिए साइट पर दौरा करने की आवश्यकता है या नहीं । एक दौरा किए जाने के मामले में , आवेदक अभिकरण द्वारा उपरोक्त खण्ड 3.4 में दिए ऑडिट शुल्क देय होगा। योजना के अनुबंध ए के च) में दिए प्रभार को छोड़कर कोई आवेदन शुल्क नहीं देय होगा ।**
6.	**मान्यता के नवीनीकरण**
6.1	**अधिसूचना में निर्धारित वैधता की अवधि समाप्त होने पर दी गई किसी भी मान्यता स्वचालित रूप से समाप्त होती है । ईआईसी द्वारा मान्यता प्राप्त निरीक्षण अभिकरण को उनकी वैधता की समाप्ति से छह महीने पहले एक नवीनीकरण की सूचना जारी की जाएगी । हालांकि, नवीकरण के लिए आवेदन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अभिकरण होगी कि आवेदन समय पर प्राप्त होता है अर्थात कम से कम इसकी समाप्ति से पांच महीने पहले ।**
6.2	**उपरोक्त 3.1.1 के अनुसार अभिकरण निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ नवीकरण इस योजना के अनुबंध ए के अनुसार निर्यात निरीक्षण अभिकरण के निकटतम कार्यालय में अपने मौजूदा मान्यता की अवधि की समाप्ति से कम से कम पांच महीने के पहले निनिप , नई दिल्ली को प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा । आगे नवीकरण पर विचार करने से पहले प्रारंभिक साइट पर ऑडिट के समान एक नवीकरण ऑडिट निनिप द्वारा आयोजित किया जाएगा।**
6.3	**नवीकरण ऑडिट के दौरान किसी भी गैर अनुरूपता पायी जाती है तो गैर अनुरूपता के संतोषजनक समाप्ति के लिए, उस अभिकरण को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई लेना होगा, जिसको अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे मान्यता नवीनीकृत करने से पहले निनिप द्वारा सत्यापित की जाने की आवश्यकता हो सकती है ।**
6.4	**नवीकरण पिछली वैधता अवधि के दौरान किए गए निष्पादन तथा नवीकरण ऑडिट की ऑन साइट मूल्याँकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । इस अवधि के दौरान प्राप्त किसी भी शिकायतों पर विधिवत विचार किया जाएगा ।**

निर्यात निरीक्षण परिषद

निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना -2012

6.5	**अगर इसकी वैधता समाप्त हो गई है और नयी नवीकरण अधिसूचना जारी होने में देरी की किसी भी घटना में पिछले मान्यता के आधार पर, आवेदक अभिकरण निरीक्षण चलाने से दूर रहेगा अन्यथा घटना में, दंडात्मक कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।**
7.	**निलंबन**
7.1	**यदि एक शिकायत या किसी भी अन्य जानकारी प्राप्त होता है और जिसमें यह इंगित करता है कि अभिकरण मान्यता के मानदंड का अनुरक्षण नहीं करता है और / या अपनी तकनीकी क्षमता और / या समग्रता संतोषजनक नहीं है तो निनिप अपने विवेक पर, एक अभिकरण की मान्यता निलंबित कर सकती है । निनिप से इस आशय का एक आदेश सीमा शुल्क सहित सभी संबंधित पक्षों को जारी किया जाएगा ।**
7.2	**एक अभिकरण, निनिप के निर्णय से असंतुष्ट हो तो निदेशक (आई एंड क्यू / सी), निनिप के समक्ष उनकी अपील के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ अपील कर सकता है,जिस पर विचार किया जाएगा। अगर वांछित हो तो, एक व्यक्तिगत सुनवाई के निदेशक, निनिप द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और निलंबन आदेश की पुष्टि की या संशोधित किया जा सकता है। इस मामले में निदेशक (आई एंड क्यू / सी), निनिप द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।**
8.	**मान्यता की समाप्ति एवं वापसी**
8.1	**मान्यता की अधिसूचना में निर्धारित वैधता की समाप्ति पर एक निरीक्षण अभिकरण की मान्यता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी ।**
8.2	**यदि केन्द्र सरकार द्वारा नवीकरण पर सहमति नहीं है तो भी, एक अभिकरण की मान्यता समाप्त हो जाएगी ।**
8.3	**निम्न कारणों में से किसी के कारण मान्यता की अवधि के दौरान किसी भी समय एक सीमा शुल्क सहित सभी संबंधित पक्षों को जानकारी के साथ अभिकरण की मान्यता वापस की जा सकती है :**
8.3.1	**अगर निनिप को लगता है कि अभिकरण की मान्यता की निरंतरता से कोई उपयोगी प्रयोजन नहीं किया जा रहा है ।**
8.3.2	**मान्यता के मानदंड को बनाए रखने में अभिकरण असमर्थ है ।**
8.3.3	**अगर किसी भी जानकारी या शिकायत के आधार पर तकनीकी क्षमता एवं समग्रता संतोषजनक नहीं है।**
8.4	**यदि एक अभिकरण की मान्यता वापस लेने का इरादा है तो, आवश्यक हो तो, विधिवत जांच के बाद, ऊपर खण्ड 8.3.2 या 8.3.3 के अनुसार, निदेशक (आई एंड क्यू / सी) के अनुमोदन से निनिप, एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगी । यदि ऐसा तो वांछित हो तो, संबंधित अभिकरण को इसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई लेने से पहले निदेशक (आई एंड क्यू / सी), निनिप को एक व्यक्तिगत सुनवाई में अपने दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के लिए, एक अवसर दिया जाएगा।**
8.5	**निरीक्षण अभिकरण, जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है, नए सिरे से अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं अनुमोदन की वापसी की तारीख से एक वर्ष से पहले नहीं।**

निर्यात निरीक्षण परिषद

निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना -2012

9	**मान्यता के नियम एवं शर्तें**
9.1	**निनिप द्वारा की गई आवधिक समीक्षा के आधार पर / निगरानी ऑडिट के संतोषजनक निष्पादन के अधीन पहले अनुमोदन की समाप्ति से पहले, अनुमोदन तीन साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जिसका एक बार में तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नवीकरण किया जाएगा ।**
9.2	**अनुमोदित अभिकरण सामान्य रूप से अपने आप ही निरीक्षण कार्य का निष्पादन करेगा । यदि अभिकरण काम का हिस्सा उप ठेके में देने के मामले में, जिसमें परीक्षण शामिल हो सकता है, निनिप की पूर्व लिखित स्वीकृति ली जाएगी और विधिवत पहले ही ग्राहक को सूचित की जाएगा । ऐसे करने में विफलता के मामले में इस योजना के पैरा 4.2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा ।**
9.2.1	**उप अनुबंधित काम के आदेश निनिप द्वारा अनुमोदित दूसरे निरीक्षण अभिकरण / प्रयोगशाला को दिया जायेगा, अभिकरण उप अनुबंध करने के लिए चाहे काम में सेवाएं भी शामिल है । ऐसे करने में विफलता के मामले में इस योजना के पैरा 4.2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा ।**
9.3	**मान्यता प्राप्त अभिकरण निनिप के पूर्व अनुमोदन के बिना गुणवत्ता प्रणाली, जिसको मान्यता प्रदान करने के लिये आधार बनाया था तथा इस योजना के अनुपालन को रोकता है, में कोई परिवर्तन नहीं करेगा । ऐसे करने में विफलता के मामले में इस योजना के पैरा 4.2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। गुणवत्ता प्रणाली में किए गए सभी परिवर्तनों का दस्तावेज़ बनाना तथा अनुरोध पर इस तरह के बदलाव के अभिलेख निनिप को उपलब्ध कराएगा । निनिप योजना / आवश्यकताओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक ऑन- साइट दौरा करने या न करने पर विचार कर सकती है।**
9.3.1	**गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में मुख्य कार्मिक, मुख्य प्रौद्योगिकी कार्यों या वरिष्ठ प्रबंधन में कोई परिवर्तन हो तो निनिप को अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे करने में विफलता के मामले में इस योजना के पैरा 4.2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा।**
9.3.2	**मान्यता प्राप्त अभिकरण मान्यता के लिए निनिप मानदंड के अनुपालन को प्रभावित प्रमुख बदलाव / व्यवधान आदि के बारे में तुरंत निनिप को सूचित करेगा । ऐसे करने में विफलता के मामले में इस योजना के पैरा 4.2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा।**
9.4	**मान्यता प्राप्त अभिकरण निर्यात के लिए निनिप को जारी किए गए निरीक्षण प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ, निरीक्षण किए परेषण की संख्या एवं मूल्य, जारी / इनकार किए प्रमाणपत्रों की संख्या, अपीलों तथा ग्राहकों के नाम के साथ शिकायतों की संख्या के संबंध में एक त्रैमासिक विवरण निनिप को प्रस्तुत करेगा। ऐसे करने में विफलता के मामले में योजना के पैरा 4.2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा ।**
9.5	**मान्यता प्राप्त अभिकरण किसी भी उत्पाद के निरीक्षण शुरू करने से पहले , जिसके लिए इसे मान्यता प्राप्त है,निर्यातक / शिपर, उत्पाद, मात्रा, गंतव्य के बंदरगाह की जानकारी देने के साथ ही निरीक्षण के प्रारंभ का समय अनिवार्य रूप से निनिअ के निकटतम कार्यालय को सूचित करेगा। 'निर्यात के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र' सहित यह इस निरीक्षण से संबंधित सभी संगत दस्तावेजों में शामिल किया जाने हेतु निनिअ कोड प्राप्त करेगा ।**
9.6	**मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा अनुबंध "ग" के जैसे एक मुद्रित प्रारूप (1 + 4) पर निर्यात के लिए निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और चल प्रमाणपत्र संख्या वहन करेगा । यह(अनुबंध-'ग ') के रूप में जारी करने की शर्तों के साथ पीछे मुद्रित एक नियंत्रित दस्तावेज होगा।**

निर्यात निरीक्षण परिषद

निरीक्षण अभिकरण मान्यता योजना -2012

9.7	**आवेदक या मान्यता प्राप्त निरीक्षण अभिकरण इस योजना या किसी भी आईएसओ मानकों के प्रत्यायन / मान्यता के प्रति परामर्श प्रदान किए किसी भी व्यक्ति या संगठन के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायेगा ।**
9.8	**मान्यता प्राप्त अभिकरण मूल्यांकन,निगरानी या जांच के प्रयोजनों के लिए प्रतिनियुक्त निनिप / निनिअ के अधिकारी (अधिकारियों)/ दल (दलों) की पहुँच की अनुमति देगा । किसी भी विवरण की पुष्टि करने के उद्देश्य के लिए सभी प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुंच देना होगा। इनकार योजना के पैरा 4.2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा ।**
9.9	**मान्यता प्राप्त अभिकरण निनिप की अप्रतिष्ठा के रूप में अपनी मंजूरी का उपयोग नहीं करेगा तथा इसकी मान्यता के लिए प्रासंगिक, जो निनिप में विचार कर सकते कोई भ्रामक विवरण नहीं करेगा । ऐसे करने में विफलता के मामले में इस योजना के पैरा 4.2 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा।**
9.9.1	**मान्यता प्राप्त अभिकरण अपनी निनिप मान्यता के बारे में एक सार्वजनिक दावा कर सकता है। हालांकि, इस तरह के दावे सख्ती से इसकी मान्यता के दायरे के आधार पर किए जाएंगे। निलंबन या अपनी मान्यता को रद्द करने पर यह निनिप मान्यता का दावा बंद करेगा और सभी प्रचार एवं विज्ञापन सामग्री को वापस लेगा, जो यदि संज्ञान में आता है, अभिकरण दंडात्मक कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।**
9.10	**किसी भी अभिकरण निनिप को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर निनिप मान्यता छोड़ सकता है। हालांकि यह पहले से ही भुगतान किए किसी भी शुल्क की वापसी के लिए हकदार नहीं होगा एवं यह इस अवधि के दौरान मान्यता के नियम एवं शर्तों का पालन जारी रखना सुनिश्चित करेगा ।**
9.11	**निनिप अपने विवेकाधिकार से, मान्यता के दायरे को कम कर सकती है। यह कर्मियों में परिवर्तन की वजह से एक साइट पर पुनर्मूल्यांकन के लिए व्यवस्था भी कर सकती है, और / या अगर एक शिकायत या किसी भी अन्य जानकारी प्राप्त होती है जो इंगित करता है कि अभिकरण की तकनीकी क्षमता और समग्रता/ गोपनीयता संतोषजनक नहीं है इस तरह के एक मामले में अनुलग्नक "क" में निर्धारित ऑडिट शुल्क प्रभार्य होगा।**
9.12	**एक बार अपनी अधिसूचित वैधता अवधि खत्म हो गया या निनिप द्वारा इसकी मान्यता के निलंबन / वापसी के मामले में, अभिकरण निर्यात परेषणों के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करना छोडेगा, जो यदि संज्ञान में आता है, उस अभिकरण दंडात्मक कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा ।**

- ➔ शुल्क के लिए अनुसूची अनुबंध - क
- ➔ आवेदन पत्र अनुबंध-ख
- ➔ निर्यात के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र - अनुबंध -ग
- ➔ प्रक्रिया_कार्य प्रगति
- ➔ नोडल अधिकारियों की सूची